**आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**
**प्रकरण संख्या 196/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)**

कापरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनिस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, महाराष्ट्र।

**प्रार्थी वित्तीय संस्था**

**बनाम**

स्वर्गीय श्री संजू कुमार पुत्र अशोक कुमार (कानूनी उत्तराधिकारियो के माध्यम से)

1. श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री जगमाल सिंह
पता :- पता :- प्लाट नम्बर 54, दक्षिण मुखी, अमर नगर, जोन-13, खिरणी फाटक, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर।
एवं 105, बस्सी सीतारामपुरा, पानीपेच, जयपुर।
2. मैसर्स संजय टी स्टॉल, जरिये प्रोपराईटेर
पता :- प्लाट नम्बर 54, दक्षिण मुखी, अमर नगर, जोन-13, खिरणी फाटक, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर।

**अप्रार्थीगण**
**ऋणी एवं गारन्टर**

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

**उपस्थित :-**

1. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

**आदेश** **दिनांक 13.06.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक **03.03.2023** को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती कमलेश देवी** के स्वामित्व की संपति **प्लॉट नम्बर 54, दक्षिण मुखी, अमर नगर, जोन-13, खिरनी फाटक, जयपुर क्षेत्रफल 180 वर्गगज, कुल क्षेत्रफल 373.32 वर्गगज** को बन्धक रख कर राशि **76,44,521/-** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **09.03.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **76,44,521/-**रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **78,52,752/-** रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **09.03.2024** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है. अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती कमलेश देवी** के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 54, दक्षिण मुखी, अमर नगर, जोन-13, खिरनी फाटक, जयपुर क्षेत्रफल 180 वर्गगज, कुल क्षेत्रफल 273.32 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखें कि वे उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **13.06.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner